कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-04/2017-18/

दिनांक : /07/2017

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम – देहरादून

जनपद- देहरादून

वषय : नगर निगम - देहरादून, का वर्ष 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 5 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-04/2017-18/ दिनांक : /07/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट), द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

निरीक्षण आख्या नगर निगम देहरादून द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर तैयार करायी गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय नगर निगम देहरादून, जनपद- देहरादून के वत्तीय वर्ष 2016-17 के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.के. वर्मा, एवं श्री नित्यानंनद संह स.ले.प.अ. एवं श्री लक्ष्मण सहं वष्ट व.ले.प. द्वारा दिनांक 22.04.2017 से 26.05.2017 श्री वी.पी. सहं ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया ।

<u>भाग-एक</u>

(1) परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एस.के.वर्मा स.ले.प.अ., श्री के.एस.चौहान स.ले.प.अ., श्री वशाल कुमार गुप्त, स.ले.प.अ., द्वारा दिनांक 20.06.2016 से 08.07.2016 तक श्री एस.के.त्यागी व.ले.प.अ., के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें महा 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गई थी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र

(क). भौगो लक क्षेत्र : 64.88 वर्ग कलोमीटर

(ख). जनसंख्या: 5,71,312

(ग). निर्वा चत सदस्यों की संख्याः 59

(घ). निगम द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 05

(च). उपस मतियों,स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:- 02-01

(छ). कर्मचारियों की संख्या: -942

(ज). पंचायतराज की सम्प त्त .:- -

(झ). पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

(ट) योजनाओं की संख्या :-

(ठ) सामाजिक संरक्षा

बरोजगार सृजन से सम्बन्धित

वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

लाभा र्थयों की संख्या :

(ड़) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श: ववरण सलंग्न

(ढ) वर्ष के दौरान कुल व्यय :-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलगअलग- दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

(त) क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गयाः हाँ

भाग **II-'**अ **'**

प्रस्तर **1 :** इकाई द्वारा कोई अनुबंध कए बिना ही `**5.90** करोड़ की धनरा श का यूनिपोल प्रद र्शत करने का ठेका दिया जाना तथा `**11.80** लाख की स्टांप शुल्क की वसूली का **2** वर्ष से अ धक समय तक लंबित रहना ।

अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी वकास को संबो धत अपने पत्र संख्या 375/न.नि.नि./2012-13 दिनां कत 13.07.2012 के अनुसार ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण रा श के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |

नगर निगम, देहरादून के वज्ञापन सम्बन्धी लेखा-अ भलेखों की जाँच में पाया गया क इकाई द्वारा नगर निगम देहरादून सीमांतर्गत दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2017 तक 11 चन्हित स्थलों पर 191 यूनिपोल प्रद र्शत करने हेतु दिनांक 02.03.2015 को नि वदा आमंत्रित की गई थी | नि वदा सूचना प्रपत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार " वज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टांप पेपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा" |

इकाई के लेखा-अ भलेखों की जाँच में आगे पाया गया क दिनांक 27.03.2015 को खोली गई नि वदाओं में नि वदादाताओं द्वारा भरी गई नि वदा रा श के आधार पर मी डया 24 x 7, नई दिल्ली को अ धकतम धनरा श `5,90,00,000/- अं कत करने के आधार पर यूनिपोल प्रद र्शत करने हेतु चयन कया गया |

इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी मी डया 24 x 7, नई दिल्ली के साथ ठेके की सम्पूर्ण धनरा श `5,90,00,000 x 2%= `11,80,000/- के स्टाम्प प्राप्त करने के पश्चात अनुबन्ध कया जाना चाहिए था जब क इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी मी डया 24 x 7, नई दिल्ली के साथ कोई अनुबन्ध कए बिना ही कार्यालय आदेश संख्या -1363/भू म अनु.-2015 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा वज्ञापन एजेन्सी मी डया 24 x 7, नई दिल्ली को वज्ञापन लगाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई |

इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी मी डया 24 x 7, नई दिल्ली के साथ कोई अनुबन्ध कए जाने तथा स्टाम्प शुल्क की वसूली के बारे में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क मी डया 24 x 7, नई दिल्ली, से कोई अनुबन्ध नहीं कया गया है तथा स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति नहीं की गई है | इकाई ने आगे बताया क प्रकरण में मार्गदर्शन हेतु शासन को पत्र प्रे षत कया गया है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी मी डया 24 x 7, नई दिल्ली के साथ निर्धारित स्टाम्प शुल्क `11,80,000/- के स्टाम्प प्राप्त करने के पश्चात अनुबन्ध कया जाना चाहिए था | इकाई द्वारा अनुबन्ध करने के पश्चात ही वज्ञापन लगाने हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए थी | महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड की स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या 72/2015-16 के द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली के संबंध में इं गत कए जाने के बावजूद भी इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी से आति थ तक स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसके कारण शासन को `11,80,000/- के राजस्व की हानि हो रही है |

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग **II-'ब'**</u>

प्रस्तर 1**:** इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत में **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** की धनरा श `**18,80,713/-** का प्रावधान न कया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से ` **4,85,617/-** के लेबर सेस की कटौती करके कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियमन) अ धनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रयान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनां कत 13 अगस्त 2014 के अनुसार, व भन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्र मकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अ धनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियमन) अ धनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अ धनिय मत कए गए हैं, जिनमें निर्माण श्र मकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें व भन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, च कत्सा सहायता, बच्चों की शक्षा हेतु आ र्थक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के ववाह हेतु आ र्थक सहायता, टूल कट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित कये जाने हेतु प्रावधान निहित कये गये हैं | उक्त अ धनियम में पंजीकृत श्र मकों के कल्याणकारी योजनाओं के लए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अ धसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1%** उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा कए जाने का प्रावधान निहित है |"

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अ धसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर निगम के मुख्य नगर

अ धकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अ धकारी के रूप में नियुक्त कया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके कए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में कए जाने की आवश्यकता है |

नगर निगम, देहरादून के लेखा-अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क:-

(i) नगर निगम, देहरादून द्वारा वत्तीय वर्ष के दौरान 17-2016`**18,86,00,191/-** की आगणन रा श के संलग्नक) निर्माण कार्यों 354'I' के अनुसारहेतु नि वदाएँ ( आमंत्रित की गईं जिसके सापेक्ष`**18,80,71,257/-** की नि वदाएँ स्वीकृत हुईं |

(ii) **`18,80,71,257/-** की स्वीकृत लागत से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में 354 /740 उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्याVIII/14-680(श्रम2002/(टी-.सी.II दिनां कत के अनुसार निर्माण कार्यों की लाग 2014 अगस्त 13त के **%1**उपकर **(**लेबर सेस**)** की धनरा श **`18,80,713/-** का प्रावधान नहीं कया गया |

(iii) इकाई द्वारा वत्तीय वर्ष निर्माण कार्यों 354 के दौरान उपरोक्त ल खत 17-2016 केसापेक्ष **`4,85,61,686/-** की धनरा श का भुगतान कया जा चुका है परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों हेतु अब तक कए गए भुगतानों से **%1**उपकर **(**लेबर सेस**)** के रूप में **`4,85,617/-** की धनरा श की कटौती करके कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा नहीं कराई गई |

इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क 1% उपकर निर्माण कार्यों से काटे जाने के संबंध में पूर्व में संज्ञान में नहीं आया था | इस संबंध में लोक निर्माण वभाग से जानकारी प्राप्त कर आगणन में नियमानुसार इसका प्रावधान कर दिया जाएगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनां कत 13 अगस्त 2014 के अनुपालन में इकाई द्वारा

कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** का प्रावधान कया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1%** उपकर **(**लेबर सेस**)** की कटौती करके कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा कराया जाना चाहिए था |

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग **II-'ब'**</u>

प्रस्तर **1 (**अ**):** इकाई द्वारा **`2,00,97,677/-** के व्ययोपरांत भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना तथा ठेकेदार के बिल से **`1,14,201/-** के वा णज्यकर की कम कटौती कया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नगर निगम देहरादून के अंतर्गत कराये जाने वाले व भन्न निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृती प्रदान की गई थी:-

क्र.सं.	शासनादेश संख्या	कार्य का नाम	कार्य हेतु स्वीकृत धनरा श	कार्य पर अब तक व्यय धनरा श	कार्यादेश की ति थ	कार्य पूर्ण करने की अव ध	कार्य की वर्तमान स्थिति
01.	/476IV(2)-श. व-. -2016)82सा14(.टी.सी . दिनां कत 28मार्च 2016	मंदा कनी वहार कंडोली) चड़ोवाली (में पार्क के अतिरिक्त निर्माण कार्य	25,59,000	17,94,290	22.08.16	02माह	अपूर्ण
02.	991/IV(2)-श. व-.)82-2016सा14(.TC दिनां कत 15जून 2016	कांवली रोड एम.डी.डी.ए .कालोनी के समीप नाला/बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य	19,59,000	7,93,114	30.08.16	03माह	अपूर्ण
03.	668/IV(2)-श. व-. 2015-06)मु.मं.घो1(.3 दिनां कत 22 जून	अजबपुर कलां वार्ड नं 36 .में मनी स्टे डयम में दर्शक	2,28,51,000	1,75,10,273	25.11.14	01वर्ष	अपूर्ण

	2015	दीर्घा, जिम, शौचालय, वाटर बाड़ी तथा एक्सरसाइज इक्युप्मेंट हेतु					
कुल योग			**2,73,69,000**	**2,00,97,677**			

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त ल खत सभी निर्माण कार्यों हेतु निम्न ल खत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृती प्रदान की गई थी क:-

(i) निर्माण कार्य निर्धारित अव ध के अंतर्गत पूर्ण कया जाना आवश्यक होगा और कसी भी दशा में पुनरी क्षत आगणनों पर स्वीकृती प्रदान नहीं की जायेगी |

(ii) धनरा श का पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वत्तीयभौतिक प्रगति का ववरण एवं / उपयो गता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा|

इकाई के लेखा-अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क:-

(i) इकाई द्वारा उपरोक्त ल खत सभी निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनरा श के `2,73,69,000/- के सापेक्ष `2,00,97,677/- का व्यय कये जाने के बावजूद सभी निर्माण कार्य लेखापरीक्षा ति थ तक अपूर्ण थे |

(ii) इकाई द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त धनरा श का उपयो गता प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा ति थ तक शासन को नहीं भेजा गया |

(iii) इकाई द्वारा अजबपुर कलां वार्ड नं **36** .में मनी स्टे डयम में दर्शक दीर्घा**,** जिम**,** शौचालय**,** वाटर बाड़ी तथा एक्सरसाइज इक्युप्मेंट हेतु ठेकेदार को तृतीय रनिंग बिल के अनुसार अब तक कए गए भुगतानों से `1,14,201/- के वा णज्यकर की कम कटौती की गई है |

इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क उपरोक्त कार्य स्थलों पर ववाद होने तथा अतिक्रमण इत्यादि के कारण देरी हुई है | वर्तमान में कार्य गतिमान है | उपयो गता प्रमाण पत्रों के सम्बंध में इकाई ने बताया क कार्य पूर्ण होने पर उपयो गता प्रमाण

पत्र शासन को भेजा जाएगा | वा णज्यकर की कम कटौती के सम्बंध में इकाई ने बताया क लेखापरीक्षा के अनुसार कम काटी गई धनरा श जमा करा दी जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं हैं क्यों क निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व इकाई द्वारा संबन्धित कार्य स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना चाहिए था | इसके अतिरिक्त ठेकेदारों के साथ कए गए अनुबन्धों की शर्तों/कार्यादेशों के अनुसार निर्माण कार्यों को निर्धारित समयाव ध में पूर्ण न करने की अवस्था में ठेकेदारों पर 2 से 5% तक जुर्माने का प्रावधान था परन्तु इकाई द्वारा कसी भी ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया | इकाई द्वारा शासनादेशों में लखी ति थ के अन्दर धनरा श का उपयोग कर उपयो गता प्रमाण पत्रों को शासन को भेजना चाहिए था | इकाई द्वारा ठेकेदार को कार्य का भुगतान करते समय रनिंग बिल से वा णज्यकर की पूर्ण कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग **II-'ब'**</u>

प्रस्तर **1 (ब):** इकाई द्वारा ठेकेदार के च लत बिल से **`1970/-** के वा णज्यकर तथा **`656/-** के आयकर की कम कटौती कया जाना ।

नगर निगम देहरादून के निर्माण सम्बन्धी लेखा-अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क इकाई द्वारा ए.बी.सी. कैम्पस, केदारपुरम के निर्माण के चतुर्थ च लत बिल के अनुसार आति थ तक `13515587/- का निर्माण कार्य कराया जा चुका है |

उपरोक्त निर्माण सम्बंधी रनिंग बिलों की जाँच में पाया गया क:-

(i) उपरोक्त निर्माण कार्य के बिलों से 6% की दर से आति थ तक `8,10,935/- के वा णज्यकर की कटौती की जानी थी जब क इकाई द्वारा सर्फ `8,08,965/- के वा णज्यकर की ही कटौती की गई है | इस प्रकार इकाई द्वारा `1970/- के वा णज्यकर की कम कटौती की गई है |

(ii) उपरोक्त निर्माण कार्य के बिलों से 2% की दर से आति थ तक `2,70,312/- के आयकर की कटौती की जानी थी जब क इकाई द्वारा सर्फ `2,69,656/- के आयकर की ही कटौती की गई है | इस प्रकार इकाई द्वारा `656/- के आयकर की कम कटौती की गई है |

इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क लेखापरीक्षा(ऑ डट) के दिशा-निर्देशों के अनुसार ठेकेदार के अन्तिम भुगतान से कटौती कर राजकोष में जमा करा दी जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्यों क निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार के च लत बिल का भुगतान करते समय ही वर्तमान दरों के अनुसार वा णज्यकर तथा आयकर की कटौती करने के उपरान्त धनरा श को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था |

अतः वा णज्यकर तथा आयकर की कम कटौती का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

<u>भाग II -'ब'</u>

प्रस्तर 2: नि वदा प्रतिभूति/कार्यपूर्ति प्रतिभूति से संबन्धित अ भलेखों का अनिय मत रख-रखाव।

उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 21 के अनुसार सं वदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लए सफल नि वदादाता, जिसके पक्ष में सं वदा दी गयी हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी। कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल नि वदादाता से, उनके पंजीकरण की प्रास्थिति आदि पर ध्यान दिये बगैर ली जाएगी। अनुबंध में निहित धनरा श के मूल्य को दृष्टि में रखते हुये कार्यपूर्ति सं वदा मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए। कार्यपूर्ति प्रतिभूति वा णज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (अकाउंट पेई) डमांड ड्राफ्ट, साव ध जमा रसीद या बैंक गारंटी, जिस रूप में वभाग/सक्षम प्रा धकारी के हित सभी प्रकार से सुर क्षत करने के लए आवश्यक हो, ली जाय। कार्यपूर्ति धरोहर आपूर्तिकर्ताओं/ नि वदादाताओं के सं वदा से संबन्धित सभी दायित्यों को जिनमे वारंटी संबन्धित दायित्व सम्मि लत हैं, पूर्ति करने की अव ध पूरी करने के दिवस से 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है। नियम 20(3) के अनुसार असफल नि वदादाताओं की नि वदा प्रतिभूति उसकी अंतिम वैधता अव ध की समाप्ति पर यथाशीघ्र, परंतु संबन्धित वभाग/प्रा धकारी द्वारा सं वदा करने के उपरांत 30 दिन के अंतर्गत ही संबन्धित नि वदादाताओं को लौटा देनी चाहिए।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के नि वदा प्रतिभूति/कार्यपूर्ति प्रतिभूति से संबन्धित पंजिका/अ भलेखों के अवलोकन में पाया गया क इकाई द्वारा वत्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक से संबन्धित कार्यों की कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) संबन्धित ठेकेदारों को अवमुक्त करने की कार्यवाही

समु चत रूप से नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति अवमुक्त करते समय संबन्धित ठेकेदारों से पंजिका में पावती भी नहीं ली जा रही थी जिससे से यह स्पष्ट नहीं था क आति थ में इकाई के पास कतनी प्रतिभूतियाँ धरोहर के रूप में उपलब्ध हैं। आगे जाँच में पाया गया क नगर निगम के व भन्न अनुभागों की चयनित पत्राव लयों में `131 60000/- के डमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/साव ध जमा के रूप में प्राप्त नि वदा/कार्यपूर्ति प्रतिभूति की मूल प्रतियाँ संलग्न थी (संलग्नक **"II**), जिनका ववरण इकाई द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रतिभूति धरोहर पंजिका में नहीं था। इसी प्रकार का प्रकरण अन्य पत्राव लयों में पाये जाने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता है। डमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/साव ध जमा के रूप में प्राप्त नि वदा/कार्यपूर्ति प्रतिभूति की मूल प्रतियों का अलग-अलग पत्राव लयों में संलग्न पाये जाने से यह स्पष्ट था क उक्त प्रतिभूति धरोहरों का सुर क्षत रख-रखाव नहीं कया जा रहा था तथा पंजिका में अंकन न कए जाने से यह भी स्पष्ट नहीं था क इकाई के पास कतनी संख्या में एवं कतनी धनरा श की प्रतिभूतियाँ जमा थी। इकाई द्वारा प्रतिभूति धरोहरों का निय मत समयान्तराल में भौतिक सत्यापन भी नहीं कया जा रहा था। साथ ही इकाई द्वारा बनाए जा रहे वा र्षक तुलन पत्रों में भी इकाई के पास उपलब्ध धरोहर प्रतिभूतियों को दर्शाया नहीं जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया क प्रतिभूति धरोहर पंजिका में केवल निर्माण कार्यों से संबन्धित प्रतिभूति धरोहर का ववरण अं कत है। नगर निगम के अन्य अनुभागों द्वारा आमंत्रित की जा रही नि वदाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों को संबन्धित पत्राव लयों में ही संलग्न कया जा रहा है, जिसका अंकन प्रतिभूति धरोहर पंजिका में नहीं कया जा रहा है। भ वष्य में प्रतिभूतियों को लेखा अनुभाग में संक लत कया जाएगा एवं सुर क्षत अ भरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।पत्राव लयों में संलग्न अस्वीकृत नि वदादाताओं की प्रतिभूतियों को वापस कए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क नि वदादाताओं से प्राप्त कार्यपूर्ति/प्रतिभूति धरोहर इकाई की देयता है जिसकी सुर क्षत अ भरक्षा (Safe Custody) सुनिश्चित की जानी चाहिए थी एवं निय मत समयान्तराल में भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए था। इकाई द्वारा नि वदा खुलने के दो साल के बाद तक भी प्रतिभूति धरोहर नि वदादाताओं वापस नहीं की गयी थी जिनमे कुछ प्रतिभूतियाँ तो डमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा थी जिनकी वैधता मात्र तीन माह थी। नि वदा प्रतिभूति/कार्यपूर्ति प्रतिभूति से संबन्धित अ भलेखों का अनिय मत रख-रखाव आंतरिक नियंत्रण की कमी व वभागीय श थलता को दर्शाता है जिसके कारण इकाई द्वारा प्रतिभूति धरोहरों के भौतिक सत्यापन हेतु समु चत ववरण भी प्रस्तुत नहीं कया जा सका।

अतः नि वदा प्रतिभूति/कार्यपूर्ति प्रतिभूति से संबन्धित अ भलेखों के अनिय मत रख-रखाव का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक II

List of DDs/FDRs/Bank Guarantees found attached with test checked files

S.No	FDR/DD No. & Dated	Type of Security	Name of Bank	Amount	Validity of FD/DD	Name of Firm
1	0358324 Dt. 23/09/16	FDR	Almora Urban Corp. Bank	20000/-	23/09/17	M/s Vishal Trading Co.
2	282578 Dt. 23/09/16	FDR	Central Bank	20000/-	23/09/17	M/s Shakshi Enterprises
3	439120 Dt. 27/09/16	FDR	Bank of Baroda	20000/-	27/09/17	M/s Sai Sales Corporation
4	705745110000536 Dt. 26/09/16	FDR	Bank of India	20000/-	26/09/17	M/s Umme Enterprises
5	929069 Dt. 27/09/16	FDR	Union Bank of India	20000/-	27/09/17	M/s Sanjay Kumar
6	1303916BG0000473	Bank Guarantee	State Bank of India	12500000/-	04/08/19	M/s RamkeyEnviro Eng. Ltd.
7	184300 Dt 04/07/16	FDR	Punjab National Bank	20000/-	04/07/17	M/s Nisha Tour & Travels
8	202161 Dt. 22/04/15	DD	Punjab National Bank	15000/-	03 Months	M/s Global Enterprises
9	007441 Dt. 22/04/15	DD	HDFC Bank	15000/-	03 Months	M/s Oberoi& Sons
10	980298 Dt. 12/02/15	DD	State Bank of India	15000/-	03 Months	M/s Marwah& Sons
11	176635 Dt. 19/04/16	DD	Union Bank	25000/-	03 Months	M/s SunlighSandhowala
12	0138391 Dt. 17/08/16	FDR	KurmanchalSahkari Bank	20000/-	17/08/17	M/s Gopal Brothers
13	547726184 Dt. 11/05/16	FDR	ICICI Bank	150000/-	01/06/17	M/s Crompton Greaves
14	100510040 Dt. 13/04/16	FDR	Punjab National Bank	150000/-	20/07/17	M/s Surya Roshni Ltd.
15	381212 Dt. 18/04/16	FDR	HDFC Bank	150000/-	One year	M/s Purav Enterprises
			योग =	13160000/-		

भाग II -'ब'

प्रस्तर 3: परिसंप त्तयों का भौतिक सत्यापन न कया जाना व आवास कराए की धनरा श `236360 की वसूली लंबित रहना।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के परिसंप त्तयों की पंजिका जांच में पाया गया क नगर निगम द्वारा परिसंप त्तयों का भौतिक सत्यापन नहीं कया जा रहा था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका क पंजिका में अं कत सभी भू-सम्प त्तयां/ परिसंप त्तयां वास्तव में नगर निगम के कब्जे में हैं अथवा नहीं? इसके अतिरिक्त इकाई के आवास आवंटन से संबन्धित पत्राव लयों की जांच में पाया गया क इकाई द्वारा श्री सुशील कुमार कुरील, तत्कालीन कर अधीक्षक को केन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों हेतु नि र्मत आवास संख्या 04 आबंटित कया गया था। श्री सुशील कुमार कुरील का नगर निगम देहरादून से 12/04/10 को स्थानांतरण हो गया था परंतु उनके द्वारा उक्त आवास खाली नहीं कया गया था। शहरी वकास निदेशालय के पत्रांक संख्या 542/श॰ व॰नि॰-06/यी॰एफ॰/05/2016 दिनांक 24 जून 2016 द्वारा श्री सुशील कुमार कुरील, कर अधीक्षक को नगर निगम देहरादून के आवास के कराए की अवशेष धनरा श `236360/- जमा करने के लए निर्दे शत कया गया था जिसकी वसूली आति थ तक लंबित थी। इसके अतिरिक्त पत्रावली में आवास कराया से संबन्धित `3258/-धनरा श के निम्न-ल खत बैंक डमांड ड्राफ्ट संलग्न पाये गए जो क समय पर बैंक में जमा न कए जाने के कारण अवैध्य हो गए थे।

बैंक का नाम	ड्राफ्ट संख्या	दिनांक	धनरा श
यूनियन बैंक ऑफ इं डया	998155	03/04/12	1648
स्टेट बैंक ऑफ इं डया	325643	30/04/12	920
स्टेट बैंक ऑफ इं डया	005098	06/04/16	690
		योग =	3258

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नगर निगम में स्टाफ न होने के कारण नगर निगम द्वारा परिसंप त्तयों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं कया जा सका है। नगर निगम व प्रशासन द्वारा वर्ष 2005 में नदी भू मयों का सत्यापन कया गया था जिसमें 10720 अवैध कब्जे पाये गए थे। आगे श्री सुशील कुमार कुरील, कर अधीक्षक से लंबित वसूली के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क आति थ तक कोई वसूली नहीं हुयी है, वसूली की कार्यवाही की जा रही है। बैंक ड्राफ्ट्स के जमा न करवाए जाने के संबंध में इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क

उक्त ड्राफ्ट उन कर्मचारियों के थे जिनका निगम से स्थानांतरण हो चुका था, चूं क उनसे भवन खाली करवाने थे एवं बैंक ड्राफ्ट जमा कर देने से उनका पक्ष मजबूत हो जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क निरंतर समयाव ध में परिसंप त्तयों के भौतिक सत्यापन न होने से उन पर अवैध कब्जा हो जाने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता है। निदेशालय के पत्रांक संख्या 542/श॰ व॰नि॰-06/पी॰एफ॰/05/2016 दिनांक 24 जून 2016 द्वारा निर्दे शत कए जाने के उपरांत भी श्री सुशील कुमार कुरील, कर अधीक्षक से आवास के कराए की अवशेष धनरा श `236360/- की वसूली न कया जाना व कराए के रूप में प्राप्त `3258/-धनरा श के बैंक डमांड ड्राफ्टस का न तो बैंक में जमा कया जाना अथवा न ही संबन्धित कर्मचारियों को वापस कया जाना आंतरिक नियंत्रण की कमी व वभागीय श थलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग **II-'ब'**

प्रस्तर **4:** इकाई द्वारा वधायक नि ध पर अर्जित ब्याज की धनरा श **`100524/-** को राजकोष में जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 347/व.आ.निदे.(तृ.रा. व.आ.)/ 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार व भन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनरा श (जैसे राज्य वत्त आयोग, केंद्रीय वत्त आयोग, क्षेत्र वकास नि ध, सांसद नि ध, वधायक नि ध, पी.एम.जी.वाई. मनरेगा इत्यादि) एवम उस पर अर्जित ब्याज का वर्षवार ववरण स्रोतवार उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनरा श को राज़कोष [1]में जमा कया जाना चाहिये।

नगर निगम देहरादून के लेखा अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क इकाई को वत्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वधायक नि ध पर निम्नानुसार **`100524/-** के अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा नहीं कराया गया:-

क्रं .सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक	अर्जित ब्याज की धनरा श
01.	यूनियन बैंक ऑफ इं डया	503302010006415	09.04.2016	17761
02.	यूनियन बैंक ऑफ इं डया	503302010006415	03.07.2016	27114
03.	यूनियन बैंक ऑफ इं डया	503302010006415	03.10.2016	27685
04.	यूनियन बैंक ऑफ इं डया	503302010006415	04.01.2017	27964
			कुल धनरा श	**100524**

आगे जाँच में पाया गया क इकाई द्वारा वत्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वधायक नि ध से कोई व्यय नहीं कया गया तथा बैंक खाते की पास बुक के अनुसार इकाई के पास वधायक नि ध के बैंक खाते में दिनांक 03.04.2017 तक **`2829237/-** की धनरा श उपलब्ध थी |

जब इकाई से बैंक खाते में दिनांक 03.04.2017 तक उपलब्ध धनरा श **`2829237/-** के वषय में यह पूछा गया क बैंक खाते में उपलब्ध यह धनरा श कसी कार्य योजना हेतु उपलब्ध

[1] लेखाशीर्षक-0049-ब्याज प्राप्ति-04-अन्य प्राप्तियाँ-800-अन्य प्राप्तियाँ-12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ-01- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ

कराई गई है अथवा समस्त धनरा श वधायक नि ध पर अर्जित ब्याज के रूप में प्राप्त हुई है तो इकाई ने अपने उत्तर में बताया क इस सम्बंध में जाँच की जा रही है | आगामी लेखापरीक्षा में इसका ववरण उपलब्ध करा दिया जाएगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई द्वारा उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या 347/व.आ.निदे.(तृ.रा. व.आ.)/ 2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार वधायक नि ध पर अर्जित ब्याज का वर्षवार ववरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनरा श को राज़कोष में जमा कराया जाना चाहिए था तथा इकाई के पास वधायक नि ध खाते में उपलब्ध समस्त धनरा श का ववरण इकाई के पास उपलब्ध होना चाहिए था |

अतः इकाई द्वारा वधायक नि ध पर अर्जित ब्याज की धनरा श `**100524**/- को राजकोष में जमा न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग II-'ब'

प्रस्तर - नगर निगम देहरादून द्वारा डोर-टू-डोर यूजर सम्बन्धी उपविधि बनाकर लागू न किए जाने के कारण निगम को `**8,45,675/-** के राजस्व की हानि ।

नगर निगम देहरादून के दिनांक 25.10.2016 को सम्पन्न हुए नगर निगम अधिवेशन के कार्यवृत्त के प्रस्ताव संख्या-02 के अनुसार डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज को दिनांक 01.01.2017 से `40/- प्रतिमाह से वृद्धि कर `50/- प्रतिमाह करने को सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी |

नगर निगम देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज बढ़ाने को सदन द्वारा स्वीकृती मिलने के उपरान्त कोई उपविधि नहीं बनाई गई है जिसके कारण इकाई को निम्नानुसार `8,45,675/- के राजस्व की हानि हुई:-

क्र.सं.	माह	सदन की स्वीकृती के अनुसार `**50** -/ प्रतिमाह की दर से डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज के रूप में जो वसूली की जानी चाहिए थी	`**40** -/प्रतिमाह की दर से डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज के रूप में जो वसूली की गई	नई दरों के अनुसार वसूली न किए जाने के कारण नगर निगम को हुए राजस्व की हानि
01.	जनवरी 2017	14,70,021	11,76,017	2,94,004
02.	फरवरी 2017	14,33,308	11,46,646	2,86,662
03.	मार्च 2017	13,25,046	10,60,037	2,65,009
	कुल योग	**42,28,375**	**33,82,700**	**8,45,675**

इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपविधि बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन से स्वीकृती मिलने के बाद तुरन्त उपविधि बनाई जानी चाहिए थी | सदन से

स्वीकृती मलने के 05 माह बीतने के बाद भी डोर-टू-डोर यूजर चार्जेज सम्बन्धी उप व ध न बनाए जाने के कारण नगर निगम को लगातार राजस्व की हानि हो रही है |

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग II -'ब'

प्रस्तर **5**: स्टॉक पंजिकाओं का अनिय मत रख-रखाव एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न कया जाना।

भंडारण नियमानुसार कसी भी कार्यालय द्वारा सामग्री का क्रय मांग के अनुसार कया जाना चाहिए एवं क्रय की गयी समस्त सामग्री की स्टॉक पंजिका में प्र वष्टि की जानी चाहिए। उसके उपरांत ही संबन्धित कर्मचारी को निर्गत कया जाना चाहिए। निर्गत करते समय स्टॉक पंजिका पर निर्गत करने वाले एवं प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर अवश्य लए जाने चाहिए। स्टॉक पंजिका/ टूल & प्लांट पंजिकामें अवशेष भंडार का सक्षम अ धकारी द्वारा निय मत समयान्तराल में भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए ता क पंजिका में अं कत अवशेष भंडार का उपलब्ध भंडार से मलान कया जा सके।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के व भन अनुभागों की स्टॉक पंजिका एवं संबन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया क स्टॉक पंजिकाओं में इंडेक्स नहीं बनायी गयी थी। साथ ही वगत वर्ष के अवशेष का एवं नई पंजिका में की गयी प्र वष्टियों का सक्षम अ धकारी द्वारा सत्यापन नहीं कया गया था। स्टॉक पंजिकामें अवशेष भंडार का सक्षम अ धकारी द्वारा निय मत समयान्तराल में भौतिक सत्यापन नहीं कया जा रहा था जिसके कारण पंजिका में अं कत अवशेष भंडार का उपलब्ध भंडार से मलान नहीं कया जा रहा था। आगे जांच में पाया गया नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग के भंडार में सूची 1 में अं कत निष्प्रयोज्य सामग्री लंबे समय से पड़ी हुई थी जिसकी नीलामी की जानी प्रस्ता वत थी (संलग्नक **'III**'), जब क अन्य अन्य अनुभागों में उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची बनाई जाने अपे क्षत थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया क इंडेक्स बनाए जाने व भौतिक सत्यापन की कार्यवाही भ वष्य में सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य अनुभाग के निष्प्रयोज्य भंडार की नीलामी की प्र क्रया गतिमान है। अन्य अनुभागों के वर्ष 2014-15 के बाद से निष्प्रयोज्य वस्तुओं की सूची बनाई जानी शेष है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इकाई के स्वास्थ्य अनुभाग/वर्क शॉप के भंडार में कुछ वाहन तो वर्ष 2008 से निष्प्रयोज्य पड़े हैं (संलग्नक **"III**') एवं समय बीतने के साथ-साथ इनके मूल्यों में ह्रास होने की संभावना से इंकार नहीं कया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक **'III'**

स्वास्थ्य अनुभाग/वर्क शॉप में उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री का ववरण

क्रमांक	सामग्री	संख्या/मात्रा	अप्रयोज्य होने की ति थ
1	टाटा ट्रक सं॰ यूजीए 94-96	01 (1984 मॉडल)	वर्ष 2011 से
2	स्वराज माजदा यू॰ए॰-07 ई 7074	01 (2003 मॉडल)	वर्ष 2008 से
3	स्वराज माजदा यू॰ए॰-07 ई 7073	01 (2003 मॉडल)	वर्ष 2010 से
4	स्काउट लोडर यू॰पी॰ 07 के-9739	01 (1998 मॉडल)	वर्ष 2004 से
5	आइसर डंपर यू॰ए॰-07 ई-5136	01 (2001 मॉडल)	वर्ष 2013 से
6	आइसर डंपर यू॰ए॰-07 ई-5751	01 (2001 मॉडल)	वर्ष 2013 से
7	आइसर डंपर यू॰ए॰-07 ई-7072	01 (2003 मॉडल)	वर्ष 2012 से
8	कंडम डी पी बिन्स	35	
9	कंडम सी पी बिन्स	209	
10	ड्रेन क्लीनर मशीन	01 (लफ्ट मैक)	
11	ट्रेक्टर कंटेनर ट्रेलर	02	
12	कंटेनर बिन्स	04	
13	पानी टैंकर	03	
14	कंडम बैटरी	72	
15	कंडम टायर	384	
16	वाहनों के पुर्जे	--	
17	कंडम रिक्शे	43	

भाग-**III**

(क) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II अ प्रस्तर संख्या	भाग-II ब प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-48/2016-17/1560 दिनां कत 05.01.2017	4(ब)-I के प्रस्तर संख्या 01 एवं 02	4(ब)-II के प्रस्तर संख्या 01 एवं 02

(ख) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिपण्णी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-48/2016-17/1560 दिनां कत 05.01.2017	--	--	इकाई द्वारा वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों की कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाए)

---------- सामान्य ----------

भाग-V

आभार

(i) कार्यालय महालेखाकार) लेखापरीक्षा (उत्तराखण्ड ,देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त ,नगर निगम देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार करता है।

(ii) अप्रस्तुत अ भलेख :

1. सतत् अनिय मतताएः-
   (i) व भन्न वार्डों में सम्प त्त कर लागू कए जाने हेतु आवा सय एवं व्यसायिक भवनों के सर्वेक्षण का कार्य नही कराया जा रहा हैं।
   (ii) इकाई द्वारा आति थ तक वज्ञापनों हेतु लगाये गये हो र्डग्स के आवंटन संबं ध कार्यवाही, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में इं गत मानको के अनुरुप नही कराया जा रहा हैं।
2. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
01.	सुश्री रवनीत चीमा	नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून

लघू एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार,स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को प्रे षत कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय